कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) राजस्थान, जयपुर
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।।) राजस्थान, जयपुर
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद, शाखा कार्यालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प्रशा.।/।/ले.प.-।/कोविड-19/वोल्यू-।।/एन-12-एन-18/2021-22/ दिनांक 27-06-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रभावी नियन्त्रण तथा इसके प्रसार को रोकने के लिए पूर्व में दिनांक 07-06-2021 तथा 15-06-2021 को जारी किये गये आदेशों की निरन्तरता में दिनांक 26 जून 2021 को त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 जारी किये गये हैं, जो कि दिनांक 28 जून 2021 (प्रात: 05:00 बजे) से आगामी आदेशों तक प्रभावी होगें। राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के साथ सहयोग करने के लिए कार्यालय द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किये जा रहे हैं:-

1. कार्यालय 100 प्रतिशत कार्मिकों के साथ प्रात: 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक खुलेगा।
2. गर्भवती महिलाओ, विकलांग एवं Co-morbidity conditions वाले कार्मिको को आवेदन करने पर वर्क फ्राम होम की अनुमति संबंधित समूह अधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी।
3. लेखापरीक्षा दल को लेखा परीक्षित इकाई से पूर्व विचार विमर्श कर कोविड प्रोटोकॉल नियमों के तहत व्यवस्था सुनिश्चित होने पर लेखापरीक्षा हेतु भेजा जाएगा ।
4. लेखापरीक्षा दलों के यात्रा कार्यक्रम आवश्यकतानुसार प्रदेश के सभी जिलो के लिए तय किये जायेंगे । जयपुर के आस पास के जिलो के लिए कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या लेखा परीक्षा-I/स्थापना-II/यात्रा भता/गार्ड फाइल/20-21/ दिनांक 22-07-2021 के अनुसार रोजाना अप-डाउन की सुविधा का विकल्प भी लिया जा सकता है ।
5. ऐसी यात्रा के लिए प्रस्तुत बिल उक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा नियमित किये जाएंगे ।
6. राज्य सरकार के द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुरुप लेखापरीक्षित इकाई द्वारा नियत किये गए कार्यालय समय की सूचना लेखापरीक्षा दल अपने समूह अधिकारी को देंगे तथा इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।
7. जिन कार्मिकों या उनके परिवार के वैक्सीन लगवाने योग्य सदस्य ने अभी तक वैक्सीन डोज़ नहीं ली है उनको सलाह दी जाती है कि वे यथाशीघ्र स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगवाएं।
8. विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी गई है कि कोरोना का नया वेरिएन्ट वैक्सीनेशन के उपरान्त भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। अत: सभी कार्मिकों को सलाह दी जाती है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार (विशेषकर दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करें।
9. यह आदेश दिनांक 28 जून 2021 (सोमवार) से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।।) की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।

ह./-
वरि. उपमहालेखाकार/प्रशासन

क्रमांक: प्रशा.I/I/ले.प.-I/कोविड-19/वोल्यू-II/एन-12-एन-18/2021-22/ दिनांक 27-06-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, महालेखाकार (ले.प.I एवं II) राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, सी.आर.ए.II, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) शाखा कार्यालय राजस्थान, जयपुर
4. समस्त समूह अधिकारी
5. वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/आर.टी.आई. जयपुर
6. वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/आई-सैड,जयपुर
7. वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय प्रधान निदेशक, उत्तर-पश्चिमी रेलवे,जयपुर
8. वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/कल्याण प्रकोष्ठ
9. वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी/जी.डी.I, III एवं शाखा कार्यालय
10. समस्त शाखाधिकारी
11. समस्त अनुभाग
12. कार्यालय आदेश पत्रावली
13. नोटिस बोर्ड

ह./-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.I